

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-3/2004

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 31 MAY 2013

राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-15 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त जिला कलेक्टरों, राजस्थान को राज्य की पलैग-शिप योजनाओं के तथा विभिन्न योजनाओं में "डायरेक्ट कैश ट्रांसफर" व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुशासनहीनता, आदेशों की अवज्ञा, दुराचरण या गंभीर लापरवाही बरतने की स्थिति में उन पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अधीन लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महागृहम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त।
4. सम्भागीय आयुक्त जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर एवं भरतपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
10. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रशासनिक सुधार (समन्वय कक्ष) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियाँ), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, लोकअयुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।
7. स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2013/929

दिनांक: 9 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि:

- 1 डा धीरेन्द्र देवर्षि (व्याख्याता) प्रभारी बेवसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त को बेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 2 समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3 समस्त राजस्थान, संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 4 उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 5 वित्तियसलाहकार कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संयुक्त निदेशक